# कोतवाली पुलिस के हाथ आए चिटफंड कंपनी के 3 डायरेक्टर

## निवेशकों से लाखों रूपये जमा कर कंपनी बंद कर फरार थे डायरेक्ट, भेजे गये रिमांड पर

**रायगढ़।** चिटफंड के गोरखधंधे में अपनी गाढी कमाये डूबा चुके निवेशकों के रूपये वापस दिलाये जाने को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के मंशानुरूप पुलिस अधीक्षक रायगढ़ अभिषेक मीणा द्वारा लंबित चिटफंड मामलों को लेकर काफी गंभीर है, वे स्वयं लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर प्रकरण के फरार आरोपियों की पतासाजी, गिरफ्तारी के लिये एडिशनल एसपी लखन पटले को दिगर प्रांत पुलिस टीम भेजने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एडिशनल एसपी के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारियों द्वारा फरार आरोपियों के संबंध में लगातार पतासाजी कर जानकारी जुटाई जा रही है। इसी क्रम में जिले के कई निवेशकों के लाखों रूपये चिटफंड कम्पनी में जमा कराकर फरार हुये फाईन इंडिया सेल्स प्रा0लि0 कम्पनी के डायरेक्टर- भूपेन्द्र चतुर्वेदी, दिवाकर सिन्हा एवं शईद अहमद को सूरजपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने की जानकारी मिली जिस पर तत्काल कोतवाली पुलिस टीम द्वारा तीनों आरोपियों का प्रोडक्शन वांरट प्राप्त कर आरोपियों की विधिवत थाना कोतवाली के अप.क्र. 1044/2018 धारा 420, 120बी,467,468,471,34 IPC एवं प्राइज चीटस एण्ड मनी सरकुलेशन स्कीमस (बेनिंग) एक्ट, 1978 की धारा 3,4,5,6 तथा छ.ग. निक्षेपकों के संरक्षण अधि. की धारा 6,10 में गिरफ्तारी कर रिमांड पर भेजा गया है।

चिटफंड को लेकर थाना कोतवाली में आवेदिका शिवकुमारी मिंज निवासी जवाहर भांठा रायगढ द्वारा दिनांक 14/08/2018 को लिखित शिकायत दिया गया था जिसमें फाईन इंडिया सेल्स प्रा.लि. चिटफंड कम्पनी द्वारा कम्पनी ने निवेशको को अधिक लाभांश दिया जाकर प्रलोभन देकर रकम जमा निवेशकों का पैसा वापस न कर धोखाधडी करने के संबंध में दिया गया है जिसमें कि शिवकुमारी मिंज द्वारा 10 फरवरी 2009 तथा 30 जून 2009 को कुल 60,000 रूपए जमा किया गया है जिसमें 21,164 रूपए लाभांश राशि दिया जाकर आई.डी. को बंद कर दिया गया है एवं अनिल किशोर मिश्रा द्वारा 10 फरवरी 2009 को 20,000 रूपए जमा किया गया है जिसका लाभांश राशि दिया जाकर आई.डी. बंद कर दिया गया आवेदक से तथा शैलेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा सितम्बर 2009 में लाभांश राशि 30,000 रूपए जमा किया गया है जिसका लाभांश राशि 21,737 रूपए दिया जाकर आई.डी. बंद कर दिया गया श्रीमती दिव्या मिश्रा द्वारा 31 मई 2009 को 10,000 रूपए नगदी जमा किया गया है जिसको 2000 रूपए लाभांश देकर आई.डी. बंद कर दिया गया है श्रीमती लता मिश्रा द्वारा 20,000 रूपए कम्पनी में जमा किया गया है जिसको कम्पनी द्वारा 1415 रूपए दिया जाकर आई.डी. बंद कर दिया गया इस प्रकार कुल 82,377 रूपए को कम्पनी द्वारा छल पूर्वक निवेश की गई राशि का अधिक लाभांश देने का प्रलोभन देकर धोखाधडी किया गया है। कम्पनी के 10 डायरेक्टर पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। एसपी मीणा के दिशा निर्देशन पर टीआई मनीष नागर द्वारा लगातार आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी,जिसमें तीन आरोपी 1. भूपेन्द्र चतुर्वेदी डायरेक्टर, फाईन इंडिया सेल्स प्रा0लि0, 2. दिवाकर सिन्हा, डायरेक्टर, फाईन इंडिया सेल्स प्रा0लि0, 91,3. शईद अहमद, डायरेक्टर, फाईन इंडिया सेल्स प्रा0लि0, तीनों 91 वाजिदपुर जजमाउ, कानपुर (उ0प्र0) 201080 DIN: 02196607 को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

प्रकरण के एक आरोपी के भुवनेश्वर जेल में निरूध होने की जानकारी प्राप्त हुई है, शीघ्र आरोपी की विधिवत गिरफ्तारी की जावेगी। गत माह में कोतवाली थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा चिटफंड मामले के आरोपी डायरेक्टर जावेद मेमन को राजनांदगांव से गिरफ्तार कर रायगढ़ न्यायालय में पेश किया गया था। आरोपियों की पतासाजी गिरफ्तारी में थाना प्रभारी मनीष नागर के साथ उप निरीक्षक बी.एस. डहरिया, प्रधान आरक्षक हेमन पात्रे, विक्रम चौरसिया की अहम भूमिका रही है।

# चोरी की मोटर सायकल बेचने ग्राहक तलाश कर रहा युवक गिरिफ्तार

● आरोपी युवक से जिंदल पावर प्लांट से चोरी की हुई मोटर सायकल जब्त

**रायगढ़।** दिनांक 02.02.2022 के देर शाम तमनार पुलिस द्वारा चोरी की बाइक को बेचने ग्राहक तलाश कर रहे युवक मोतीलाल वैष्णव को मुखबिर सूचना पर हिरासत में लेकर आरोपी मोतीलाल वैष्णव से चोरी की बाइक हीरोहोण्डा स्पेलेण्डर प्लस क्रमांक CG 13-R-9617 कीमती ₹30,000 की बरामदगी की गई है।

आरोपी मोतीलाल वैष्णव पिता मोहनलाल वैष्णव उम्र 26 वर्ष निवासी इंदिरानगर तमनार थाना तमनार से कडाई से पूछताछ करने पर दिनांक 21.01.2022 के सुबह जिंदल पावर प्लांट गेट नंबर 02 से बाइक की चोरी करना बताया है। बाइक चोरी के संबंध में दिनांक दिनांक 23.01.2022 को थाना तमनार में लक्ष्मीप्रसाद साहू पिता गजानंद साहू उम्र 27 वर्ष निवासी बासनपाली थाना तमनार द्वारा उसकी हीरोहोण्डा स्पेलेण्डर प्लस क्रमांक

CG 13-R-9617 बाइक की चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। तमनार पुलिस अज्ञात आरोपी पर अप.क्र. 29/2022 धारा 379 IPC दर्ज कर माल मुल्जिम की पतासाजी की जा रही थी। थाना प्रभारी तमनार उप निरीक्षक जी.पी. बंजारे के लगाये गये मुखबिर से मिली सूचना पर मोटर सायकल चोरी के आरोपी को पकड़ने में सफलता मिली है जिसमें थाना प्रभारी के साथ प्रधान आरक्षक उदय सिंह सिदार की अहम भूमिका रही है। आरोपी को आज दिनांक 03.02.2022 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

# कुम्हीचुंवा में मामूली विवाद पर पति ने की पत्नी की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार

## आरोपी से वारदात में प्रयुक्त लकड़ी का अंगेठा जब्त, खाना को लेकर हुआ था विवाद

**रायगढ़।** कल दिनांक 02.02.2022 की रात्रि थाना कापू अन्तर्गत ग्राम कुम्हीचुंवा, तुरी बस्ती में रहने वाले भीषम राम तुरी द्वारा अपनी पत्नी की लकड़ी के अंगेठा (लकड़ी का मोटा टुकड़ा) से सिर में चोट पहुंचाकर हत्या कर दिया। घटना की सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी कापू उप निरीक्षक ए.के. बेक, उप निरीक्षक धनीराम राठौर एवं हमराह स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपी कहीं भाग पाता उसके पहले उसे हिरासत में लेकर थाना लाये।

घटना के संबंध में मृतिका मानाबाई पति भीषम राम तुरी उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम कुम्हीचुंवा,

तुरी बस्ती के भाई धनीराम तुरी (42 साल) द्वारा थाना कापू में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 02.02.2022 की रात्रि इसकी दीदी मानाबाई और जीजा भीषम राम तुरी अपने घर के आंगन में लकड़ी जलाकर आग ताप रहे थे। रात्रि करीबन 08.00 बजे लड़ाई-झगड़ा व चिल्लाने की आवाज सुनकर घर से निकलकर देखे तो जीजा भीषम राम तुरी जलता हुआ लकड़ी के अंगेठा से दीदी मानाबाई को मार-पीट कर रहा था जिससे दीदी मानाबाई जमीन में गिर गयी। जिसके सिर में गहरी चोट आने से मौके पर ही दम तोड़ दी। आरोपी पर थाना कापू में हत्या का अपराध दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया गया है। आरोपी पूछताछ में बताया कि कल रात घरेलू झगडे पर पत्नी मानाबाई बनाया हुआ खाना उठाकर फेंक दी तब गुस्से में आकर जलती लकड़ी के अंगेठा से सिर पर मारा जो फौत हो गई। आरोपी भीषम राम तुरी उम्र 58 वर्ष निवासी ग्राम कुम्हीचुंवा, तुरी बस्ती थाना कापू को कल न्यायिक रिमांड पर भेजा जावेगा।

# रोको-टोको टीम ने रेल्वे स्टेशन में चलाया जागरूकता अभियान

### यात्रीगणों को कोविड नियमों के पालन हेतु किया आग्रह

**रायगढ़ ।** रोको-टोको अभियान के द्वारा जिले के मुख्य चौक चौराहों में लगातार कोविड नियमों के पालन हेतु लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज रोको-टोको स्वयंसेवकों के द्वारा रेलवे स्टेशन क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाया गया। सबसे पहले टीम ने मुख्य स्टेशन प्रबंधक पी.के.राउत से मिलकर अभियान से संबंधित जानकारी दी एवं उनसे अनुमति प्राप्त की। साथ ही उनसे आग्रह किया गया की सभी कर्मचारियों एवं यात्रीगण को कोविड नियमों के पालन कराने हेतु निर्देशित करें। रोको-टोको टीम ने सभी प्लेटफार्म में जाकर यात्रीगण को कोविड नियमों के पालन हेतु आग्रह किया। इसके साथ ही उन्होंने जागरूकता पोस्टर भी

चिपकाया तथा मास्क वितरण भी किया। इस मौके पर यूनिसेफ जिला समन्वयक शशांक शर्मा के साथ रोको टीम के नीरज सहिस, कैफ खान, सुशांत पटनायक, करण सारथी, अनुजा मिरी, ज्योति अदिल, प्रतीक प्रधान, पूर्णिमा सिदार, खिलेश्वरी चौहान, अंजली जयसवाल, शहनाज बेगम, मुस्कान कर्स, खुशबू गुप्ता, नेहा भट्ट आदि उपस्थित थे।

# शादी का प्रलोभन देकर युवती का शरीरिक शोषण, आरोपी गिरफ्तार

**रायगढ़।** दिनांक 03.02.2022 को लैलूंगा पुलिस द्वारा युवती का शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण (दुष्कर्म) करने वाले आरोपी नरेन्द्र यादव निवासी थानाक्षेत्र लैलूंगा को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

पीड़ित युवती दिनांक 01.02.2022 को थाना लैलूंगा में लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसका नरेन्द्र यादव से जान पहचान था, जब कभी नरेन्द्र मिलता तो शादी तुमसे शादी करूंगा कहता था। उसकी बातों पर विश्वास कर घर में बिना बताये दिनांक 04.12.2021 को नरेन्द्र के साथ मोटर सायकल पर चली गई। नरेन्द्र यादव रायगढ़ अपने परिचित के घर ले जाकर रखा था। उसके कुछ दिन बाद पूंजीपथरा क्षेत्र में किराया मकान लेकर 10 जनवरी तक रखा था, जहां जल्द ही शादी कर लेंगे कहकर शारीरिक संबंध बनाता। 11 जनवरी को नरेन्द्र मोटर सायकल पर युवती को ले जाकर गांव छोड़ा और बोला कि तुमसे शादी नहीं करूंगा। गांव में मिटिंग कराकर नरेन्द्र को मीटिंग में बुलाये तो मीटिंग में भी गांववालों के पास नरेन्द्र शादी से मना कर

दिया और कहने लगा कि तुम्हे जो भी करना है कर लो। युवती परिजनों से सलाह लेकर थाना लैलूंगा में आरोपी पर रिपोर्ट दर्ज करायी। पीड़िता के लिखित आवेदन पर थाना प्रभारी लैलूंगा निरीक्षक रूपेन्द्र नारायण साय द्वारा धारा 363, 376 IPC के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी की पतासाजी कर आरोपी नरेन्द्र यादव पिता गोपी यादव उम्र 32 साल को गिरफ्तार कर आज न्यायिक अभिरभा में रिमांड पर भेजा गया है।

# फेसबुक फ्रेंड ने वन विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर युवती से किया 1.28 लाख की ठगी, रायगढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार

◆ "रायगढ़ पुलिस" की आमजन से अपील- सोशल मीड़िया पर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत

**रायगढ़।** पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के दिशा निर्देशन पर कोतवाली पुलिस समेत जिले के अन्य थानों द्वारा लगातार धोखाधड़ी के मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में कुछ लोग अपनी निजी तथा व्यावहारिक जीवन की जानकारियों अनजान लोगों से साझा कर देतें हैं जिससे अपराधिक किस्म के लोग इसका दुरुपयोग कर उन्हें आसानी से धोखा दिया जाता है। कई बार यह मानसिक और आर्थिक रूप से हानि पहुंचाने वाला होता है। ऐसी ही एक घटना के आरोपी को कोतवाली पुलिस द्वारा पतासाजी, गिरफ्तारी कर बेनकाब किया गया है, आरोपी को आज न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। ठगी का मास्टरमाइंड आरोपी चंद्रकांत चौहान, रायगढ़ की युवती को सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र देकर युवती से 1.28 लाख रूपये अपने अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर कराया था।

पड़ित युवती द्वारा दिनांक 16.12.2021 को थाना कोतवाली में आवेदन दिया गया कि सोशल मीडिया के प्लेटफार्म फेसबुक मैसेंजर पर उससे चंद्रकांत चौहान से परिचय हुआ। चंद्रकांत चौहान स्वयं को कोरबा का रहने वाला तथा मंत्रालय में परिचय के लोग हैं जिनके जरिए वह किसी को भी शासकीय नौकरी दिला सकता हैं। चन्द्रकांत युवती को भरोसा दिलाने व्हाट्सएप में वन विभाग की वैकेंसी भेजा और युवती से उसका बायोडाटा भेजने बोला। उसके कहने पर युवती अपना बायोडाटा वन विभाग के लोकपाल

पद के लिए व्हाटसअप पर भेजी। अब चंद्रकांत चौहान युवती को नौकरी लगाने के एवज में *₹128000* गूगल पे अकाउंट से ट्रांसफर कराने बोला जिसकी बातों में आकर युवती रूपये ट्रांसफर कर दी। युवती को भरोसा दिलाने चंद्रकांत चौहान एक फर्जी आदेश पत्र उसे भेजा। काफी समय बाद युवती को नौकरी का कॉल लेटर नहीं आने पर उसे ठगी का अहसास हुआ और उसने कोतवाली थाने में आवेदन देकर आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कराया जिस पर कोतवाली थाने में मोबाईल नं. 789801xxx, 989361xxxx के धारक के विरूद्ध अपराध क्रमांक 1778/2021 धारा 420 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

अपराध विवेचना दरम्यान वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष नागर द्वारा अज्ञात आरोपी के संबंध में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग कर अपने मुखबिरों का जाल बिछाकर आरोपी की पतासाजी की गई , जिस पर आरोपी चंद्रकांत चौहान के कोरबा से उड़ीसा भाग जाने की जानकारी मिलने पर तत्काल थाना प्रभारी द्वारा अपनी टीम भेजा गया। पुलिस टीम को आरोपी चंद्रकांत चौहान पिता अंतराम चौहान उम्र 36 वर्ष निवासी बिरकोना थाना बाकीमोंगरा जिला कोरबा (छत्तीसगढ़) को पकड़ने में सफलता मिली है। ठगी के मास्टरमाइंड चंद्रकांत चौहान द्वारा रूपये खर्च करना बताया, पुलिस द्वारा उसकी मोबाइल जब्ती की गई है, जिसके जरिये वह मेसेंजर व व्हाटसअप का प्रयोग करता था। आरोपी को आज न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। एडिशनल एसपी रायगढ़ लखन पटले द्वारा आमलोगों से सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से दोस्ती करने से बचने तथा अपनी व्यक्तिगत जानकारी, निजी डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करने की अपील किया गया है, साथ ही किसी भी प्रकार की ठगी होने पर नजदीकी थाना चौकी में रिपोर्ट कर पुलिस सहायता लेने कहा गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी मनीष नागर, उपनिरीक्षक नंदलाल पैकरा, प्रधान आरक्षक श्यामदेव साहू, नंदू सारथी, विक्रम चौरसिया की अहम भूमिका रही है।

## महत्वपूर्ण एवं खास

### जिले में सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का पदांकन आदेश जारी

**रायगढ़।** छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर द्वारा जारी आदेशानुसार 9 मार्च 2019 के अनुसार विज्ञापित पदों के विरुद्ध रायगढ़ जिले में सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला ई संवर्ग के 06 व टी संवर्ग के 15 कुल 21 अभ्यर्थियों के पदांकन आदेश जारी कर दिए गए हैं। पदांकन आदेश अभ्यर्थियों के पत्ते में प्रेषित किया जा रहे हैं। आदेश प्राप्त नहीं होने की स्थिति में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, रायगढ़ में कार्यालयीन समय में अभ्यर्थी अपना पदांकन आदेश प्राप्त कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को पदांकित शाला में 11 फरवरी 2022 तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। पदांकित शाला की सूची स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट www.eduportal.cg.nic.in एवं www.raigarh.gov.in में देखी जा सकती है।

### गोधन न्याय योजना कार्य में लापरवाही : दो ग्राम पंचायत सचिव निलंबित

**रायगढ़ ।** जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ.रवि मित्तल ने ग्राम पंचायत भेड़वन के पंचायत सचिव रूपसाय साहू एवं ग्राम पंचायत उलखर के पंचायत सचिव श्रीमती भूषण साहू को शासन की महत्वपूर्ण गोधन न्याय योजना के कार्यों में लापरवाही बरतने, उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करने तथा अपने पदीय कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। दोनों पंचायत सचिव को निलंबन अवधि में कार्यालय जनपद पंचायत सारंगढ़ में संलग्न किया गया है।

### सड़क दुर्घटना में 2 की मृत्यु, वारिसानों को सहायता राशि स्वीकृत

**रायगढ़ ।** अनुविभाग रायगढ़ अंतर्गत सड़क दुर्घटना में दो लोगों की आकस्मिक मृत्यु होने पर एसडीएम रायगढ़ द्वारा तहसीलदार रायगढ़ एवं पुसौर की अनुशंसा पर मृतक के नजदीकी वारिसानों को 25-25 हजार रुपये की सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार आईटीआई कालोनी चक्रधर नगर, रायगढ़ के सुधा सिंह की 24 दिसम्बर 2019 को चिटकाकानी के पास सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके पिता सुरेन्द्र सिंह को 25 हजार रुपये तथा तहसील-पुसौर के ग्राम-केशला निवासी टीकेदाउ चौहान की 27 अक्टूबर 2021 को झलमला पुसौर के पास सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके पुत्र गोरखनाथ चौहान को 25 हजार रुपये की सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

### पीएचसी रामभांठा में सर्वायकल कैंसर स्क्रीनिंग आज

**रायगढ़ ।** कलेक्टर भीम सिंह के निर्देशन एवं सीएमएचओ डॉ.एस.एन.केशरी के मार्गदर्शन 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर रायगढ़ जिले के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामभांठा में सर्वायकल कैंसर स्क्रीनिंग की जायेगी। जिसमें मेडिकल कॉलेज से डॉ.अंजना तिवारी (एम.डी.) द्वारा पूर्वान्ह 11 से शाम 5 बजे तक जाँच की जायेगी। आम जनता को अधिक से अधिक संख्या में पहुंच कर स्वास्थ्य लाभ लेने हेतु आग्रह किया गया है।

### सौ दिवसीय पठन एवं गणितीय कौशल विकास अभियान के चौथे सप्ताह में हमारे नायक चुनी गई बैजंती

**रायगढ़ ।** स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट सीजी स्कूल डॉट इन पढ़ई तुंहर दुआर पोर्टल में 100 दिवसीय पठन एवं गणितीय कौशल विकास अभियान के चौथे सप्ताह 2 फरवरी से 8 फरवरी में श्रीमती बैजंती पटेल सहायक शिक्षिका शासकीय प्राथमिक शाला पटेलपाली रायगढ़ हमारे नायक चुनी गई हैं। सीजी स्कूल डॉट इन में हमारे नायक एक नए फॉर्मेट में प्रारंभ किया गया था, जिसमें कोविड-19 के दौरान बेहतर कार्य कर रहे शिक्षकों के कार्यों को सभी के साथ साझा करने एवं बेहतर कार्यों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हमारा नायक का कालम शुरू किया गया था। इसमें बेहतर कार्य कर रहे शिक्षकों, विद्यार्थियों, अधिकारियों एवं समुदाय के सदस्यों के दो-दो ब्लॉग प्रतिदिन शामिल किए गए थे। लंबे समय से संचालित हो रहे कार्यक्रम के स्वरूप में थोड़ा बदलाव करते हुए हमारे नायक एक अगले चरण में 100 दिनों के अभियान में बेहतर कार्य कर रहे शिक्षकों के वीडियो साझा किए गए थे। 100 दिन अर्थात 14 सप्ताह के इस कार्यक्रम के नए स्वरूप में प्रति सप्ताह के लिए निर्धारित लक्ष्य को सीखने में सहयोग देने हेतु गतिविधियों में जिन शिक्षकों की वीडियो सर्वश्रेष्ठ होगी उन शिक्षकों का हमारे नायक में चयन किया जाना था। इसी अनुक्रम में शासकीय प्राथमिक शाला पटेलपाली, रायगढ़ की सहायक शिक्षिका श्रीमती बैजंती पटेल को हमारे नायक चुना गया।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480